17

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा ग्वालियर म.प्र.

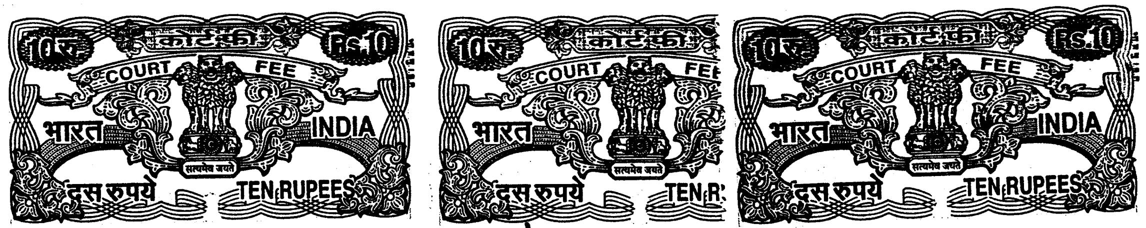

नि० 5205-तीन/15

श्री गोपाल सिंह तनय स्व. श्री घासीराम सिंह निवासी वार्ड नं. 7 अनूपपुर जिला अनूपपुर म.प्र. हाल निवासी -वन विभाग कालोनी अनूपपुर जिला अनूपपुर म.प्र.

----- निगरानी कर्ता

श्री अजय पाण्डेय एड. द्वारा पेश। 5-12-15

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र.
ग्वालियर

ब ना म

1 शासन म.प्र. द्वारा जिलाध्यक्ष जिला अनूपपुर म.प्र.

2-नानसाय पनिका तनय श्री रतनलाल पनिका निवासी ग्राम जुड़ी तहसील - अनूपपुर जिला अनूपपुर म.प्र.

3:- तहसीलदार तहसील अनूपपुर जिला अनूपपुर म.प्र.

4:- प्रवीण सिंह तनय श्री एल.एस. मरावी नि. अनूपपुर वार्ड नं. 9 अनूपपुर जिला अनूपपुर म.प्र.

----- गैर निगरानीकर्ता गण

निगरानी विरुद्ध तहसीलदार तहसील अनूपपुर म.प्र. जिला अनूपपुर द्वारा प्र.क्र. 23/अ-3/014-015 में पारित आदेश दिनांक- 13.12.2014.

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म.प्र. भू-राजस्व सन् 1959 ईसवी.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है:-

1:- यहकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित नक्शा तर्मीम आदेश दिनांक- 13.12.2014 विधि व प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य

2:- यहकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट था, कि निगरानी कर्ता ने

vXXXa BR H-11

राजस्व् मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

गोपाल सिंह/शासन/नानसाय पनिका आदि

प्रकरण कमांक निग0 5205–तीन/15 **जिला –अनूपपुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२०/५/16	आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील अनूपपुर जिला अनूपपुर के प्रकरण कमांक 23/अ–3/2014–15 आदेश दिनांक 13–12–2014 से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक–2 नानसाय द्वारा आराजी सर्वे नं. 954/5 के नक्शा तरमीम हेतु आवेदन प्रस्तुत किया । राजस्व निरीक्षक द्वारा नक्शा तरमीम के प्रस्ताव सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । जिसे स्वीकार कर तहसीलदार द्वारा दिनांक 13–12–2014 को मूल नक्शे में तरमीम अंकित करने का आदेश पारित किया । तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की है । आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि नक्शा तरमीम करने के पूर्व आवेदक को सूचना नहीं दी गई । जबकि उसके द्वारा सर्वे 954 के अंश रकवा को विधिवत रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा कय किया गया था । उसी सर्वे नं. 954 के अंश भाग 954/5 का नक्शा तरमीम अनावेदक के पक्ष में किया गया । जिसमें आवेदक के कब्जे में दर्ज भूमि	

-2- R 5205-III/15

		अनावेदक की 954/5 बताकर उसका अधिपत्य मान लिया गया है । तहसीलदार द्वारा दिनांक 13-12-2014 को किया गया आदेश मूल नक्शे में तरमीम अंकित करने का है । जो अंतिम स्वरूप का है । अतः तहसीलदार के उक्त आदेश निगरानी योग्य नहीं है । आवेदक चाहे तो अनुविभागीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकता है । सदस्य	